उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या–24 / 2025

नारायण यादव बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
30/07/25		

–:: आदेश ::–

इस वाद की कार्यवाही नारायण यादव, पिता–स्व० भीखी महतो, ग्राम–पापाहारा, वार्ड नं०–05, पो० जामु थाना–मरकच्चो, जिला–कोडरमा द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या–31 / 2024 में दिनांक–20.03.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–52(A) के तहत अपील दायर किया गया। वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी ट्रक पंजीयन संख्या–UP-52T-3131 का पंजीकृत स्वामी–सह–चालक है। अभियोजन पक्ष संक्षेप में रंजीत कुमार यादव, प्रभारी अधिकारी, माण्डू पुलिस स्टेशन की लिखित रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक–27.04.2024 को रात्री लगभग 11:30 बजे उन्होंने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर कोयले के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन के विरुद्ध संयुक्त छापेमारी की थी। उक्त थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न बंद खदानों में छापेमारी करते हुए दिनांक–28.04.2024 को लगभग 03:10 बजे छापेमारी दल बोंगाहारा गांव के निकट वन क्षेत्र में चौसा नदी के किनारे पहुंचा तो देखा कि नदी के किनारे एक ट्रक खड़ा है तथा ट्रक के पास दो व्यक्ति थे जो पुलिस वाहन की लाइट देखकर भागने लगे। सशस्त्र बल के सहयोग से उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया, परंतु अंधेरे एवं वन क्षेत्र का लाभ उठाकर दोनों व्यक्ति भागने में सफल रहे। जब वे ट्रक के पास पहुंचे तो देखा कि ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर–UP-52T-3131 है, जिस पर कोयला लदा हुआ था। पाया गया कि लगभग 25 टन कोयला ट्रक में लदा हुआ। ट्रक और उस पर लदे कोयले के संबंध में दावेदार का काफी देर तक इंतजार किया गया, लेकिन काफी देर बाद भी उक्त ट्रक और उस पर लदे कोयले के संबंध में कोई दावेदार उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में ट्रक संख्या–UP-52T-3131 पर लदे लगभग 25 टन अवैध कोयले को औपचारिक जब्ती सूची तैयार कर जब्त कर लिया गया, जिस पर दोनों गवाहों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए। पंजीकरण संख्या–UP-52T-3131 वाले पंजीकृत मालिक–सह–चालक के विरुद्ध भी माण्डू थाना काण्ड संख्या–107 / 2024 के तहत मामला

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज किया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है। दिनांक–20.03.2025 को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पंजीकरण संख्या–UP-52T-3131 वाले वाहन को कोयला के साथ जब्त करने का आदेश पारित किया गया। जबकि वास्तविक यह है कि अपीलार्थी का वाहन पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग–33 पर बोंगाहारा में सड़क किनारे ढाबा के पास जब्त किया गया था, जहाँ अपीलार्थी ने उक्त ट्रक का मालिक–सह–चालक होने के नाते कोयले और वाहन से संबंधित वैध कागजात प्रस्तुत किए, लेकिन पुलिस ने कोयले से संबंधित वैध कागजात की अनदेखी करते हुए अपीलार्थी के विरुद्ध झूठी प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस ने झूठा आरोप लगाया है कि वाहन को नदी के पास से जब्त किया गया था, जिसका उद्देश्य अपीलार्थी को अवैध खनन और वन क्षेत्र से कोयला निकालने के झूठे मामले में फंसाना था, जबकि तथ्य यह है कि कोयला वैध रूप से मेसर्स फाहमीदा एंटरप्राइजेज, राँची से खरीदा गया था। उक्त वाहन पर कोयला डिपो मेसर्स फाहमीदा एंटरप्राइजेज से वैध रूप से खरीदकर ले जाया जा रहा था। इसके लिए कुल–24.900 मीट्रिक टन कोयला 49,046.78/– रुपये का भुगतान किया गया था। इसके लिए उक्त डिपो ने मेसर्स कुमार ब्रिक्स, दरभंगा (बिहार) के पक्ष में कर चालान जारी किया था और अपीलार्थी का वाहन मेसर्स कुमार ब्रिक्स, दरभंगा द्वारा कोयले के परिवहन के लिए किराए पर लिया गया था। मोटर चालित वाहन द्वारा 50,000/– रुपये से अधिक मूल्य के माल के अंतर–राज्यीय परिवहन के लिए ई–वे बिल अनिवार्य है। इस मामले में कर चालान का मूल्य 50,000/– रुपये से कम है, इसलिए ई–वे बिल की आवश्यकता नहीं है।

उक्त के आलोक में अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करने व निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में अंकित किया गया है कि वादी के स्वयं बयान के आधार पर माण्डू थाना काण्ड संख्या–107/2024, दिनांक–28.04.2024 धारा–414/34 भारतीय दण्ड विधान–30(ii) कोल माईन्स एक्ट एवं 33 भारतीय वन अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। दिनांक–13.09.2024 को प्रतिवादी वाहन स्वामी उपस्थित होकर वाहन और कोयले के स्रोत से संबंधित कागजात न्यायालय में समर्पित किया और यह बयान दिया कि कोयला का स्रोत वैध है तथा पुलिस के द्वारा उनकी गाडी को हाईवे पर पकडा गया है। मेसर्स फाहमीदा इन्टरप्राईजेज, रातू रोड, राँची के द्वारा निर्गत टैक्स invoice and weight silp जमा किया गया। न्यायालय प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी ने परिवादी के द्वारा समर्पित मेसर्स फाहमीदा इन्टरप्राईजेज के जाँच हेतु अपने कार्यालय पत्रांक–540, दिनांक–22.02.2025 द्वारा पत्र के माध्यम से कथित कोयला कारोबारी से अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु एक माह व्यतीत होने के उपरांत भी उनके द्वारा कोई जवाब या प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत दस्तावेज गाडी पकडाने के उपरांत तैयार किया गया है। परिवादी द्वारा E-bay

Bill भी जमा नहीं किया गया है, जो उनके द्वारा किए जा रहे कोयले के अवैध खनन के उपरांत परिवहन का समर्थन करते है। विषयगत वाद में जप्त ट्रक संख्या–UP-52T-3131 एवं उस पर लदा करीब 25 टन कच्चा कोयला को भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–52 (3) के तहत राज्यसात किया जाता है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–69 के अनुसार यदि प्रतिवादी उक्त जप्त वन पदार्थ पर अपना दावा प्रमाणित करने में असफल होता है तो वह वन पदार्थ सरकार की सम्पति मानी जाएगी। प्रतिवादी द्वारा पुलिस बल के समक्ष कागजात प्रस्तुत नहीं करना तथा दावा हेतु उपस्थित नहीं होना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि प्रतिवादी द्वारा माण्डू अधिसूचित वन क्षेत्र से अवैध खनन कर ट्रक पर लोड कर अवैध परिवहन का प्रयास किया जा रहा था, जिसे पुलिस बल पकड़ लिया गया। प्रस्तुत वाद में कोयले का खनन स्थल माण्डू वन क्षेत्र दिखाया गया है, जो कि एक अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि है। अधिसूचित एवं सीमांकित वन क्षेत्र से अवैध उत्खनन कर परिवहन करना भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–33 का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है एवं दण्डनीय अपराध है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि–सम्मत प्रतीत होता है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता, निम्न न्यायालय का आदेश एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं संलग्न कागजातों एवं लिखित अभिकथन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे यह प्रमाणित हो सके कि वाहन पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग–33 पर बोंगाहारा में सड़क किनारे ढाबा के पास जब्त किया गया था। साथ ही अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष कोयला के क्रय संबंध में मेसर्स फाहमीदा इन्टरप्राईजेज का invoice प्रस्तुत किया जा रहा है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा समय दिए जाने के बाद भी E-bay Bill प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे अपीलार्थी का दावा तथ्यहीन व न्यायालय को गुमराह किया जाना प्रतीत होता है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ द्वारा विधि–सम्मत आदेश पारित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। प्रभावी पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर सकते है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ को भेजे।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखित करें।

Digitally signed by Faiz Aq Ahmed Mumtaz
Date: 2025.08.26 12:22:31 +05:30
Location: 192.168.0.200

उपायुक्त,
रामगढ़

उपायुक्त,
रामगढ़

Scanned with OKEN Scanner